EXCELLENCE –EXPANSION- EQUITY IN HIGHER EDUCATION

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (**RUSA**)

मुख्य बिन्दु

1. 'रुसा' कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार तथा राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अकादमिक, प्रशासनिक तथा सुशासन सम्बन्धी सुधार के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होगी ।
2. 'रुसा' के अर्न्तगत अनुदान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को प्रदान किया जायेगा।
3. राज्यों को प्रदान किया जाना वाला अनुदान, राज्य की उच्च शिक्षा योजना पर आधारित होगा जिसमें गुणवत्ता, पहुॅच तथा समता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
4. 'रुसा' के अर्न्तगत अनुदान, प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्था को संस्थागत विकास योजना (IDP) तैयार करनी होगी। इस योजना के आधार पर राज्य स्तरीय योजना तैयार की जायेगी।
5. 'रुसा' के अर्न्तगत अनुदान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित घटक (Components) निर्धारित किये गये हैं
    - स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के रुप में उच्चीकृत करना।
    - विभिन्न महाविद्यालयों के कल्सटर से विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
    - विश्वविद्यालयों को संरचनात्मक सुवधिाओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
    - नया माडॅल महाविद्यालय स्थापित करना।
    - पूर्व से स्थापित महाविद्यालय को माडॅल महाविद्यालय के रुप में उच्चीकृत करना।
    - नये व्यवसायिक तथा तकनीकी महाविद्यालयों की स्थापना।
    - महाविद्यालयों को संरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
    - शोध, अन्वेषण एवं गुणवत्ता सुधार के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
    - उच्च शिक्षा में समानता स्थापित करने के अनुदान उपलब्ध कराना।

- विश्वविद्यालयों को फैकल्टी रखने के लिए सहयोग करना।
- फैकल्टी सुधार के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
- उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
- शैक्षणिक प्रशासकों में नेतृत्व विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
- संस्थागत पुर्नसरंचना एवं सुधार के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
- आंकडों के संकलन, नियोजन तथा समता विकास एवं 'रुसा' की तैयारी के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
- उच्च शिक्षा में मैनेजमेंट इन्फारमेशन के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।

राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की विवेचना एवं परीक्षण करने के उपरान्त उपर्युक्त घटकों पर आधारित यथोचित प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. उत्तराखण्ड राज्य के लिए इस केन्द्रपुरोनिधानित योजना (CSS) में केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुपात 90:10 रखा गया है।
7. 'रुसा' में सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भी अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है लेकिन इसमें 50 : 50 का अनुपात निर्धारित किया गया है।
8. 'रुसा' कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य को प्रदान किया जाना वाला अनुदान निम्नलिखित मानकों पर आधारित होगा
    - सम्बन्धित आयु वर्ग में जनसंख्या।
    - सकल नामांकन अनुपात (GER)
    - विभिन्न श्रेणियों में लिंग समानता सकेंताक (Gender Parity Index)
    - राज्य द्वारा उच्च शिक्षा में किया जाना वाला व्यय।
    - संस्थागत घनत्व।
    - शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात।
    - उच्च शिक्षा में पहुॅच, समता व गुणवत्ता को प्राथमिकता।
9. सम्प्रति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विकास अनुदान/सहायता प्रदान की जाती है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (B) से आच्छादित हो लेकिन

'रुसा' कार्यक्रम में 12 (B) से अनाच्छादित विश्वविद्यलायों/महाविद्यालयों को भी अनुदान प्रदान किया जायेगा।

10. 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) में प्रतिभाग करने के लिए राज्य एवं शिक्षण संस्था स्तर पर निम्नलिखित शर्तो को पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

अ) राज्य स्तर पर –

- राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना।
- राज्य उच्च शिक्षा की 10 वर्षीय तथा वार्षिक योजना का निर्माण।
- समयबद्ध रुप से राज्यांश उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता।
- राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में रिक्तियों को भरे जाने की प्रतिबद्धता।
- महाविद्यालयों की सम्बद्धता के मापदण्ड एवं प्रकिया में सुधार ।
- राज्य स्तर पर प्रत्यायन एजेन्सी की स्थापना।
- सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार।
- अकादमिक तथा परीक्षा सुधार।

ब) संस्थागत स्तर पर –

- संस्थागत संचालन में सुधार।
- एम0आई0एस0 की स्थापना।
- अकादमिक तथा परीक्षा सुधार।
- उच्च शिक्षा में समता की प्रतिबद्धता।
- शोध एवं अन्वेषण में विकास की प्रतिबद्धता।
- फैकल्टी की नियुक्तियों को भरा जाना।
- नियामक संस्थाओं के आदेशों का पालन।

11. 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (**RUSA**) में प्रतिभाग करने के लिए सर्वप्रथम राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना की जानी है।

(i) Chairman, preferably an eminent Academic/Public intellectual with proven leadership qualities.

(ii) Vice Chairman must be an eminent academic administrator with proven record (rank of a professor) – In case the chair is a non-adademic person. In other cases it could be a professional from industry etc., with sufficient experience in the sector.

(iii) Member Secretary, an eminent academic of the rank of Professor- Chief Executive.

(iv) State Project Director.

(v) Ten to Fifteen members, individuals representing fields of arts, science and technology, culture, civil society and industry and vocational education and skill development.

(vi) Three Vice Chancellors of State Universities and Two Principals of autonomus /affiliated colleges.

(vii) One nominee of the Government of India.

12. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की शक्तियॉ एवं कार्य

- राज्य उच्च शिक्षा की योजना तैयार करना।
- राज्य में स्थित शिक्षण संस्थाओं को योजना तैयार करने में दिशा–निर्देश देना।
- विभिन्न संस्थाओं, निकायों तथा सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- उच्च शिक्षा की राज्य योजना का क्रियान्वयन तथा मॉनिटिरिंग।
- एम.आई.एस. की स्थापना एवं संचालन।
- राज्य तथा संस्थागत स्तर पर आंकड़ों को एकत्रित एवं संरक्षित करना।
- राज्य की शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन।
- फैकल्टी सुधार।
- परीक्षा सुधार।
- पाठ्यक्रम सुधार।
- शोध एवं अन्वेषण में विकास।
- राज्य की शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्ता की सुरक्षा।
- नयी शिक्षण संस्थाओं तथा महाविद्यालयों का अनुमोदन प्रदान करना।
- प्रत्यायन सुधार।
- राज्य में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार का सलाह प्रदान करना।
- विश्वविद्यालयों की परिनियमों के निर्माण में सलाह देना।
- 'रुसा' के अर्न्तगत राज्यांश तथा केन्द्रांश के रुप में प्राप्त कोष का प्रबन्धन।

- राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को राज्य स्तरीय योजना के आधार पर अनुदान प्रदान करना।